इंडियन बैंक
Indian Bank
प्रधान कार्यालय, 66, राजाजी सालै
चेन्नै – 600 001

<u>685 लिपिकों की भर्ती</u>

इंडियन बैंक, एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक जिसका मुख्यालय चेन्नै में है और जिसकी भौगोलिक उपस्थिति भारत भर और विदेश में भी है, लिपिकों के पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। (कार्य भूमिका में नकदी संचालन शामिल है)

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि **07.06.2010** से **06.07.2010** के बीच, भुगतान करने के बाद, हमारी वेबसाइट <u>www.indianbank.in</u> मात्र के ज़रिए, आनलाइन आवेदन भेजें। आवेदन का कोई भी अन्य तरह का ज़रिया/माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा।

आनलाइन पंजीकरण के लिए प्रारंभिक तिथि	**07.06.2010**
आनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि	**06.07.2010**
लिखित परीक्षा की तिथि	**22.08.2010**

1. रिक्तियों के विवरण (शार्टफ़ाल रिक्तियों सहित)

राज्य कोड	राज्य/संघशासित क्षेत्रों में रिक्तियां	कुल रिक्तियां					जिसमें से			
		अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	सा.	कुल	वि.			भू.सै./ वि.भू.सै./ यु.भू.सै.आ.
							दृ.ही.	शा. वि.	ब.	
01	आंध्र प्रदेश	18	8	30	54	110	1	1	2	16
02	अरुणाचल प्रदेश	0	3	0	3	6	0	0	0	1
03	असम	1	2	4	8	15	0	0	1	2
04	बिहार	4	0	6	14	24	0	1	0	3
05	छत्तीसगढ़	1	3	0	4	8	0	0	0	1
06	गोवा	0	1	1	2	4	0	0	0	0
07	गुजरात	2	4	8	14	28	0	0	1	4
08	हरियाणा	1	0	1	2	4	0	0	0	1
09	हिमाचल प्रदेश	1	0	1	2	4	0	0	0	1
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	1	1	0	0	0	0
11	झारखंड	0	1	0	3	4	0	0	0	1
12	कर्नाटक	2	1	3	4	10	0	0	0	1
13	मध्य प्रदेश	5	3	3	8	19	0	1	0	2
14	महाराष्ट्र	2	2	5	11	20	1	0	0	3
15	मेघालय	0	1	0	2	3	0	0	0	0
16	मिज़ोरम	0	1	0	1	2	0	0	0	0
17	उड़ीसा	5	7	4	16	32	0	1	0	5
18	पंजाब	4	0	2	4	10	0	0	0	1
19	राजस्थान	1	1	2	4	8	0	0	0	1
20	तमिलनाडु	48	4	68	133	253	3	3	5	37
21	त्रिपुरा	1	2	0	3	6	0	0	0	1
22	उत्तराखंड	2	0	1	6	9	0	0	0	1
23	उत्तर प्रदेश	10	0	12	24	46	1	0	0	7
24	पश्चिम बंगाल	3	2	3	7	15	0	0	1	2
25	चंडीगढ़	1	0	1	3	5	0	0	0	1
26	दिल्ली	4	2	7	12	25	1	0	0	4
27	पुदुच्चेरी	2	0	3	5	10	0	0	0	1
28	दमन एवं डियु	0	0	1	1	2	0	0	0	0
29	दादरा एवं नगर हवेली	0	1	0	1	2	0	0	0	0
	कुल	118	49	166	352	685	7	7	10	97

संक्षिप्त रूप निम्नलिखित के लिए हैं :– अ.जा. : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. : अन्य पिछड़े वर्ग, सा. : सामान्य, विः विकलांग व्यक्ति, शा.वि : शारीरिक रूप से विकलांग, ब. :बधिर, दृ.ही. : दृष्टिहीन, भू.सै. : भूतपूर्व सैनिक, वि.भू.सै. – विकलांग भूतपूर्व सैनिक, यु.भू.सै.आ. – युद्ध में मारे गए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।

रिक्तियों की संख्या तथा उपर्युक्तानुसार आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अनंतिम है और बैंक की आवश्यकतानुसार इसमें बदलाव हो सकता है।

नोट :

1. आवेदन शुल्क की अदायगी करने के पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि वे अर्हता मानदंड पूरा करते हैं। एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क और / या जमा की गई डाक राशि वापस न की जाएगी और न ही अन्य किसी भर्ती प्रक्रिया हेतु समायोजित की जाएगी।
2. प्रत्येक राज्य में रिक्तियों की संख्या सभी प्रयोजनों के लिए एक पृथक भर्ती है। मात्र प्रशासनिक सुविधा हेतु विभिन्न राज्यों में एक ही दिन एक एकसमान परीक्षा चलाई जा रही है।
3. उम्मीदवार मात्र एक ही राज्य/संघशासित क्षेत्र की रिक्तियों मात्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और उस राज्य/संघशासित क्षेत्र से जुड़े एक केन्द्र से ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदन फार्म प्रस्तुत करने के बाद राज्य/संघ शासित क्षेत्र और/या परीक्षा केन्द्र की अधिमान्यता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

4. उम्मीदवार द्वारा किसी राज्य के चयन करने को उसके द्वारा इस राज्य में कहीं भी काम करने की पूर्ण सहमति मानी जाएगी।
5. आरक्षित संवर्ग के उम्मीदवार जोकि ऐसे राज्य हेतु आवेदन कर रहे हैं, जहां उस संवर्ग हेतु रिक्ति न हो, सामान्य संवर्ग हेतु आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वे उस सामान्य संवर्ग की अर्हता, आयु मापदंड आदि सभी मानदंडों को पूरा करते हों।
6. ऐसे पदों के लिए प्राप्त आवेदन जिनके लिए विज्ञापन ही नहीं दिया गया था अथवा किसी राज्य/संघशासित क्षेत्र विशेष में पदों के लिए विज्ञापन न दिया गया, पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी विचार में लिया जाएगा जब उस राज्य की शाखाओं/कार्यालयों की रिक्ति के लिए चयन किया जाता है जिसके लिए उसने आवेदन किया है। जिस राज्य हेतु उसने आवेदन किया है, के लिए उसकी नियुक्ति बैंक द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम अवधियों के लिए होगी और किसी भी परिस्थिति में इस अवधि के दौरान राज्य से बाहर के स्थान हेतु स्थानांतरण/तैनाती के अनुरोध पर विचार नही किया जाएगा। तो भी बैंक को अधिकार होगा कि वह चयन के बाद उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार भारत में किसी भी स्थान को तैनात/स्थानांतरित करे।
8. चूंकि शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिक दोनों के लिए आरक्षण समस्तर पर है, चयनित उम्मीदवारों को उन समुचित संवर्ग में रखा जाएगा जिसके वे हैं (यथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में नियोजित करना संभव नहीं हो सकेगा तथा यदि उनका चयन होता है तो वे बैंक द्वारा उनके लिए उपयुक्त पद के रूप में अभिपहचानित पद पर ही उन्हें काम करना होगा।

2. परिलब्धियां :

वेतनमान रु.7200/– रु.19300/–
डीए, एचआरए, आदि की अदायगी, तैनात स्थान के आधार पर समय–समय पर लागू बैंक नियमानुसार की जाएगी।
अन्य लाभों में चिकित्सा सहायता, अस्पताल व्यय, यात्रा व्यय, एलएफ़सी और सेवा निवृत्ति के लाभ, समय समय पर संशोधित द्विपक्षीय समझौते / बैंक के नियमों के आधार पर।

3. आवेदन शुल्क (डाक प्रभार सहित) – अप्रतिदेय

(क) अ.जा./अ.ज.जा./विकलांग व्यक्ति/भू.सै. के लिए – रु. 50/–*
(ख) अन्य सभी के लिए (अ.पि.व. सहित) – रु. 300/–

***** अ.जा./अ.ज.जा./वि./भू.सै. के लिए शुल्क मात्र डाक के लिए और अन्यों के लिए, शुल्क में रु. 50/–का डाक प्रभार शामिल है।
आवश्यक आवेदन शुल्क **इंडियन बैंक** की शाखाओं में से किसी एक मात्र में **07.06.2010 को या बाद** परंतु **06.07.2010 तक** अदा किया जाना चाहिए ।

<u>आनलाइन आवेदन करने के लिए दिशानिर्देश</u>

<u>आनलाइन आवेदन करने के पहले ही इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में नकद रूप में आवेदन शुल्क अदा किया जाना है।</u>
आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद उम्मीदवार को शाखा से भुगतान रसीद लेनी चाहिए, उसके विवरण को आनलाइन आवेदन में उद्धरित करना चाहिए। लिखित परीक्षा के समय बुलावा पत्र के साथ मूल रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अर्ह उम्मीदवारों को जरूरी है कि वे हमारी वेबसाइट www.indianbank.in के ज़रिए मात्र आनलाइन आवेदन करें तथा आवेदन का अन्य प्रकार का कोई भी ज़रिया/माध्यम स्वीकार्य नही होगा।

क. आनलाइन आवेदन करने के पहले उम्मीदवारों के पास वैध ईमेल आईडी होना चाहिए।
ख. यदि उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी न हो तो आनलाइन आवेदन करने के पूर्व उसे चाहिए कि एक नया वैध ईमेल आईडी सृजित करे।

शुल्क जमा करने हेतु शाखा के पते को ढूंढने के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार हमारे बैंक की वेबसाइट <u>www.indianbank.in</u> को लाग आन करें जिसमें शाखाओं के पते को ढूंढने का प्रावधान है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट में दिए ''ब्रांच सर्च'' के तहत किए गए स्पेस में नजदीकी नगर/शहर/स्थान को टाइप करें।

<u>आनलाइन आवेदन पंजीकृत करने और शुल्क अदा करने की अंतिम तारीख 06.07.2010 है। पंजीकरण हेतु आवेदन 07.06.2010 से 06.07.2010 तक हमारे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। शुल्क के भुगतान हेतु चलान हमारे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट से चलान का प्रिंटआउट ले और इस चलान का प्रयोग करते हुए मात्र हमारी किसी एक शाखा में 07.06.2010 से 06.07.2010 के बीच शुल्क जमा करें। भुगतान पर निम्नलिखित विवरण को निगमित करके संबंधित शाखा द्वारा उम्मीदवार को चलान का रसीदी भाग वापस लौटाया जाएगा।</u>

1. जमा जर्नल संख्या
2. शाखा का नाम
3. शाखा का कोड
4. प्रेषण की तारीख

उपर्युक्त विवरणों को, उम्मीदवारों द्वारा, आनलाइन आवेदन प्रारूप में, उसे प्रस्तुत करते समय समुचित स्थान में उल्लेख करना चाहिए।

एक बार किए गए आवेदन को वापस नहीं लिया जा सकता है तथा अदा किया गया शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा और न ही उसे अन्य किसी परीक्षा हेतु आरक्षित रखा जाएगा।
आनलाइन आवेदन प्ररूतुत करने के बाद कृपया सिस्टम प्रजनित आनलाइन आवेदन फ़ार्म का प्रिंट आउट लें और रसीद की अपने भवी संदर्भ हेतु इसे बनाए रखें। **यह प्रिंट आउट बैंक को न भेजें।**

लिखित परीक्षा के समय बुलावा पत्र के साथ मूल भुगतान रसीद को भी प्रस्तुत करना चाहिए।

शुल्क की वास्तविक अदायगी के बिना आनलाइन पंजीकृत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. पात्रता मानदंडः

ए. राष्ट्रीयता/नागरिकता

किसी उम्मीदवार को 1) भारत का एक नागरिक या 2) नेपाल का वासी या 3) भूटान का वासी या 4) ऐसा एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आया हो या 5) भारत मूल का एक व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, उगांडा, तंजानिया संयुक्त गणतंत्र (पूर्वतः टांगानयिका और जांजिबार जांबिया, मालावी, जैर, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास किया हो। बशर्ते कि उपर्युक्त 2), 3), 4) और 5) वर्गो से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा एक योग्यता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। उस उम्मीदवार को जिसके मामले में योग्यता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, बैंक द्वारा आयोजित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा, किंतु अंतिम चयन पर नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा जब भारत सरकार द्वारा आवश्यक योग्यता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

बी. शैक्षिक योग्यता (01.01.2010 को)

10+2+3 पैटर्न की 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा में/इंटरमीडियट/प्री–यूनिवर्सिटी या किसी अन्य समतुल्य परीक्षा/केंद्र/राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकिंग डिप्लोमा में 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों के साथ उत्तीर्णता
(अ.जा./अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिक/विकलांग व्यक्तियों के लिए परीक्षा में उत्तीर्णता मात्र)

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी विषय में डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य परीक्षा
नोट

- भूतपूर्व सैनिकों के लिए (जो उपर्युक्त योग्यता नहीं रखते) ऐसी सेवा (विभागीय) परीक्षा में उत्तीर्णता जिसे मैट्रिक्युलेशन स्तर से कम न होनेवाली सिविल परीक्षा की समतुल्य परीक्षा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- सभी शैक्षिक योग्यताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/केंद्रीय/राज्य/ संघशासित क्षेत्र शासन से होनी चाहिए।
- अंग्रेज़ी में अच्छी तरह से लिखना या बोलना चाहिए।
- जिस राज्य के लिए उम्मीदवार ने आवेदन किया है उस राज्य की राजभाषा को पढ़ने, लिखने व बोलने का ज्ञान अनिवार्य है।
- कम्प्यूटर ज्ञान –उपर्युक्त पद के लिए संगत योग्यता के अलावा कम्प्यूटर ज्ञान एक अनिवार्य योग्यता होगी, जो उम्मीदवार को होनी चाहिए या बैंक में प्रवेश करने के छह माह के अंदर प्राप्त करना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा (भू.पू.सै.)

i. भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) : केवल उन उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाएगा, जो समय–समय पर यथा संशोधित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 36034/5/85–ईएसटीटी(एससीटी) दिनांक 27.10.1986 की परिभाषा को पूरा करते हों।
ii. विकलांग भूतपूर्व सैनिक (वि.भू.सै.) : उन भूतपूर्व सैनिक जो संघ के सशस्त्र दलों में या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में सेवा करते समय शत्रु के विरूद्ध कार्यों में विकलांग हुए हों को, विकलांग भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाएगा।
iii. युद्ध में मारे गए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित व्यक्ति (यु.भू.सै.आ.) : निम्नलिखित कार्यों में मारे गए भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक सेवा कार्रवाई में मारा गया जैसा माना जाएगाः (ए) युद्ध (बी) युद्ध जैसे परिचालन अथवा पाकिस्तान से युद्ध विराम की रेखा पर या किसी अन्य देश से युद्ध जैसे परिचालन या सरहद घर्षण (सी) विद्रोह वातावरण यथा नागालैंड, मिज़ोरम इत्यादि में सशस्त्र विरोधियों के विरूद्ध युद्ध (डी) विदेश में शांति रखने के मिशन में रहना (ई) खान जिसमें शत्रु के खान भी शामिल हैं को रखना या निकालना, किसी परिचालन की समाप्ति के एक माह पूर्व और तीन माह बाद के बीच माइन स्वीपिंग परिचालन (एफ) वास्तविक परिचालन या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान शीतदंश (जी) आंदोलन करनेवाले अर्धसैनिक बलों के व्यक्तियों को संभालना (एच) श्रीलंका में परिचालनों के दौरान मृत आईपीकेएफ़ व्यक्ति।

नोटः

(1) रक्षा सेवाओं में अभी भी कार्यरत और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अधीन आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें 30.6.2011 को या उसके पहले कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त किया जाएगा ।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को जिन्होंने केन्द्र सरकार के तहत ''सी'' एवं ''डी'' ग्रूप में / सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में पहले ही रोज़गार प्राप्त किया हो उन्हें केन्द्र सरकार के तहत ग्रूप ''सी'' एवं ''डी'' /सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में अन्य रोज़गार प्राप्त करने हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किए गए अनुसार आयु छूट का लाभ अनुमत किया जाएगा। फ़िर भी, ऐसे उम्मीदवार केन्द सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(3) भूतपूर्व सैनिक जो अपने पुनःनियोजन हेतु, भूतपूर्व सैनिक के रूप में उसे दिए गए लाभों को पाते हुए, एक बार सिविल साइड में सरकारी नौकरी जाइन कर लेता है, तो नौकरी में पुनः भर्ती के प्रयोजनार्थ भूतपूर्व सैनिक की उसकी स्थिति समाप्त हो जाती है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण (वि)

विकलांग व्यक्तियों के लिए अपंगतावाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 की धारा 33 के तहत आरक्षण उपलब्ध है। तदनुसार निम्न अपंगता वाले उम्मीदवार आवेदन करने के लिए अर्ह हैं। ऐसे लाभों का दावों करनेवाले आवेदकों को साक्षात्कार के समय पर अपने दावे के समर्थन में एक मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

दृष्टिहीन (दृ.ही.)

1. दृष्टिहीनता से ऐसी स्थिति का संबंध है जहाँ कोई व्यक्ति निम्न लिखित स्थितियों में किसी एक से बाधित है यथा (i)संपूर्ण दृष्टि हीनता ii) सुधारात्मक लेन्स के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200(स्नेल्लेन) से अधिक न होनेवाला दृष्टि नुकीलापन iii) दृष्टि क्षेत्र की परिसीमा जो 20 डिग्री या उसमें बदतर कक्षान्तरित हो।
2. कम दृष्टि का आशय उस व्यक्ति की दृष्टि हीनता से संबंधित है जो चिकित्सा या मानक रिफैक्टिव कनेक्शन के बाद भी दृष्टि कम हो किंतु समुचित सहायता साधन का प्रयोग करता हो या उसके साथ किसी काम के कार्यपालन की आयोजना के लिए दृष्टि का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक रूप से सक्षम हो।

बधिर (ब):
बधिर का आशय बातचीत की फ्रीक्वेंसियों के क्रम में बेहतर कान में साठ डेसाइबेल्स या उससे अधिक की कमी।

शारीरिक रूप से विकलांग (शा.वि):
1 लोकोमोटर अपंगता का अर्थ है हड्डियों, जोडों या मांस पेशियों की अपंगता है, जिसके कारण अवयवों के चलन को काफी मात्रा में रोकता है या सेरेब्रल पाल्सी का कोई एक रूप है।
2 सेरेब्रल पालिसी का अर्थ .असामान्य मोटार नियंत्रण स्थिति द्वारा अभिलक्षित व्यक्ति की गैर प्रगामी स्थिति के समूह से है, जो ब्रेन इन्सल्ट या प्रसवपूर्व, पेरीनाटल या शिशु अवधि के दौरान होनेवाले घावों से होता है।
विकलांग व्यक्यिां के सभी मामलों को 'लोकोमोटर अपंगता या सेरेब्रल पाल्सी' वर्ग के तहत शामिल किया जाएगा। सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए केवल ऐसे व्यक्ति अर्ह होंगे जो संबंधित अयोग्यता के 40 प्रतिशत से कम न होनेवाली अयोग्यता में बाधित हैं।

- चूँकि विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण समतल आधार पर होता है, अतः चयनित उम्मीदवारों को उस समुचित वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व/सामान्य) वर्ग में रखा जाएगा जिससे वे संबंधित हैं।
- जहाँ कहीं लिखित परीक्षा रखी जाती है, वहां अंधे उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनके लिखने की गति सरेब्रल पाल्सी द्वारा बाधित है, लिखित परीक्षा के दौरान अपनी लागत पर स्वीय स्क्राइब का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहाँ स्क्राइब का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

i. उम्मीदवारों को अपनी ही लागत पर अपने स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।
ii. स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता निर्धारित योग्यता मानदंडों में एक ग्रेड कम होनी चाहिए (अर्थात्) स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता एचएससी से कम होनी चाहिए।
iii. स्क्राइब को उम्मीदवार के अंकों से कम अंक प्राप्त किया होना चाहिए और अपने स्वीय शैक्षिक वर्ग में 60 प्रतिशत से अधिक अंक नहीं होने चाहिए।
iv. स्क्राइब किसी भी शैक्षिक वर्ग का हो सकता है।
v. दोनों उम्मीदवार और स्क्राइब को इस बात की पुष्टि करते हुए एक वचनपत्र देना होगा कि स्क्राइब के लिए बताए गए उपर्युक्त सभी निर्धारित मानदंडों को स्क्राइब ने पूरा किया है। आगे बाद में यह प्रकट होने के मामले में कि स्क्राइब ने निर्धारित किसी भी योग्यता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो लिखित परीक्षा के परिणाम पर ध्यान दिए बिना आवेदक की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।
vi. स्क्राइब का प्रयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवार, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय के लिए अर्ह होंगे।

सी. आयु सीमा (01.01.2010 को)

18 वर्ष	**से कम नहीं**
28 वर्ष	**से अधिक नहीं हो**

ऊपरी आयु सीमा में छूट :

संवर्ग	**कितने वर्षों की छूट**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	5 वर्ष
अन्य पिछडे वर्ग	3 वर्ष
विकलांग व्यक्ति	10 वर्ष
भूतपूर्व सैनिक	3 वर्ष (रक्षा दलों में सेवा की वास्तविक अवधि के अतिरिक्त व 50 वर्ष की अधिकतम आयु के अद्यधीन)
विधवा,तलाकशुदा महिलाएं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः शादी न की हो	9 वर्ष, सामान्य संवर्ग के लिए अधिकतम 35 वर्ष , अ.पि.व. के लिए 38 वर्ष और अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के लिए अधिकतमे 40 वर्ष
1.1.1980 से 31.12.1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर खंड़ में सामान्य रूप से रहनेवाले व्यक्ति	5 वर्ष (साक्षात्कार के समय पर सक्षम प्राधिकारी में इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाए)
1984 के दंगों के मृतक के बच्चे/परिवार के सदस्य	5 वर्ष

नोटः उपर्युक्त वर्गों में एक से अधिक वर्गों के अधीन छूट के लिए कोई उम्मीदवार अर्ह होने के मामले में, उपरोक्तानुसार शेष वर्गों में से किसी एक के साथ जिसके लिए छूट अनुमत है, संचयित आधार पर आयु में छूट उपलब्ध होगी। यह संचयित आयु छूट सिर्फ़ अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व उम्मीदवारों के लिए ही उपलब्ध होगी।

5. परिवीक्षा :
नियुक्ति पर उम्मीदवार 6 माह की न्यूनतम अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा सफ़लतापूर्वक पूरा करने के बाद और यदि उपर्युक्त पाये जाते हैं तो उन्हें बैंक की सेवाओं में पुष्टिकृत किया जाएगा।

6. चयन प्रक्रियाः
लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के विवरण निम्न प्रकार हैं।

<u>ए) लिखित परीक्षाः</u>

क. वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं (समयावधि–95 मिनट)

क्र.सं	परीक्षा का नाम	परीक्षा का माध्यम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
1.	तर्क शक्ति योग्यता की परीक्षा	अंग्रेज़ी व हिंदी	50	80
2.	अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षा	अंग्रेज़ी	50	यह परीक्षा केवल अर्हता के लिए है तथा कुल अंकों में इसकी कोई भारिता नहीं है।
3.	सांख्यकीय योग्यता की परीक्षा	अंग्रेज़ी व हिंदी	50	80
4.	लिपिकीय योग्यता की परीक्षा	अंग्रेज़ी व हिंदी	50	40

- वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ग़लत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक होंगे।
- आवेदक को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पृथक रूप से अर्ह होने की ज़रूरत है।

ख. वर्णनात्मक परीक्षा – वर्णनात्मक परीक्षा 45 मिनट की अवधि के लिए होगीं। इसमें 5 अनिवार्य प्रश्न होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे जिससे सामाजिक–आर्थिक विकास एवं संप्रेषण में कुशलता में ज्ञान का आकलन किया जा सके। यह वर्णनात्मक परीक्षा सिर्फ योग्यता स्वरूप की है।

नोट :

- आवेदकों को वर्णनात्मक प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी में या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय राजभाषा में, जहां से उन्होंने आवेदन किया हो, देने का विकल्प उपलब्ध है।
- आवेदक को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक परीक्षा पृथक रूप से उत्तीर्ण करनी है।
- रिक्तियों के विरुद्ध आवेदकों की संख्या पर निर्भर करते हुए केवल वही आवेदक, जो वस्तुनिष्ट परीक्षा में पर्याप्त रूप से उच्च अंक प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार हेतु बुलाए जाएंगे। केवल अर्हता/परीक्षा में पास करने से किसी आवेदक को साक्षात्कार हेतु बुलाने हेतु अधिकारी नहीं माना जाएगा।
- अंतिम चयन वस्तुनिष्ट परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़ने के बाद तैयार रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा।
- लिखित परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत सूचना बुकलेट मे दी जाएगी जो बुलावा–पत्र के साथ आवेदकों को उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि आवश्यकता पडी तो बैंक, उपर्युक्त संदर्भित प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में योग्यता क्रम के आधार पर लिखित परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि लिखित परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित किया जाता है तो तदुपरांत साक्षात्कार हेतु प्रक्रियाविधि तथा आगे की प्रक्रियाविधि दूसरे चरण की परीक्षा में मेरिट के क्रम के आधार पर होगी।

लिखित परीक्षा केन्द्र :

लिखित परीक्षा ब्रैकेट में उल्लिखित राज्यों में रिक्तियों हेतु निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा स्थल का पता बुलावा–पत्र में सूचित किया जाएगा :

हैदराबाद, विजयवाड़ाए विशाखपटनम, तिरुपति (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी (अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा) पटना (बिहार, झारखंड), चंडीगढ़ (चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,पंजाब), जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर),भोपाल (मध्यप्रदेश), बंगलूरू (कर्नाटक), पणजी (गोवा) पुणे (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (उड़ीसा,),रायपुर (छत्तीसगढ़) चेन्नै, कोयम्बत्तूर, मदुरै, तिरुच्चि, तिरूनेलवेली (तमिलनाडु) लखनऊ (उत्तर प्रदेश,), देहरादून (उत्तराखंड), पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह), पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) अहमदाबाद (गुजरात, दमन व डियु एवं नागर हवेली), जयपुर (राजस्थान) नई दिल्ली (दिल्ली)।

- परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन हेतु अनुरोध पर **विचार नही** किया जाएगा।

- अकस्मात परिस्थितियों, यदि कोई हों के तहत बैंक, लिखित परीक्षा तिथि में परिवर्तन एवं अथवा लिखित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- कोई आवेदक जो किसी विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र में रिक्तियों हेतु आवेदन करता है तो उसे उपर्युक्त निर्दिष्ट केन्द्रों पर ही परीक्षा में उपस्थित होना पड़ेगा। यदि राज्य/संघ क्षेत्र तथा आवेदक द्वारा चिहिनत केन्द्र के बीच कोई चूक होने के मामले में आवेदन किए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्र के आधार पर केन्द्र का निर्णय होगा।

ख. <u>साक्षात्कार</u> :

निर्धारित कट ऑफ़ अंक के अनुसार लिखित परीक्षा में रेंकिंग के क्रम में सूचीबद्ध आवेदकों को बैंक द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा तथा इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

अंतिम चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़ने के बाद, प्राप्त रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा।

7. परीक्षापूर्व प्रशिक्षण :

(केवल अ.जा./अ.ज.जा./भू.पू.सै./वि./अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों मात्र के लिए)

लिखित परीक्षाओं हेतु चेन्नै, बंगलूरू, चंडीगढ़, कोलकाता, मुम्बई, तंजाउर तथा विजयवाड़ा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को सीमित संख्या में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। बैंक को कुछ अतिरिक्त केन्द्रों पर आयोजित करने या प्रशिक्षण हेतु इंगित कुछ केन्द्रों को हटाने का अधिकार है। एक अर्ह आवेदक जो

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहता है तो वह आनलाइन आवेदन में संगत कॉलम को भरे। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अ.जा./अ.ज.जा. व अल्पसंख्यक समुदायों के मामले में समुदाय प्रमाण–पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक मेडिकल प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्रवेश हेतु स्थल पर लाएं। संबंधित केन्द्रों पर आयोजित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने हेतु यात्रा, ठहरने तथा भोजन आदि से संबंधित व्यय आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगें।

8. **कदाचार में दोषी पाए जानेवाले आवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई:**

आवेदकों को उनके अपने हित में यह सूचित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र भरते समय या प्रमाणित प्रतियां/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते समय कोई ग़लत, बनावटी, फ़ेब्रिकेटेड विवरण प्रस्तुत न करें और न हीं कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाएं।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय, यदि कोई उम्मीदवार निम्न हेतु दोषी पाया जाता है (या पाया गया है):

i) परीक्षा के दौरान कोई अनुचित साधन का उपयोग या
ii) छद्म रूप धारण अथवा किसी व्यक्ति द्वारा छद्मव्यक्तिता या
iii) परीक्षा भवन में दुर्व्यहार या
iv) परीक्षा भवन से प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र बाहर ले जाने या
v) चयन हेतु अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित माध्यम का सहारा लेने या
vi) किसी माध्यम द्वारा अपनी उम्मीदवारी हेतु समर्थन प्राप्त करने, तो ऐसे उम्मीदवारों को उनपर आपराधिक मामला चलाने के अलावा निम्न कार्रवाई भी की जा सकती है

क. परीक्षा जिसके लिए वह उम्मीदवार है, उससे उन्हें अनर्ह कर दिया जाएगा

ख. बैंक/आईबीपीएस द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या भर्ती, से स्थायी या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

vii) बैंक/आईआईबीपीएस जवाबों के असाधारण/पैटर्न का पता लगानें के लिए अन्य उपस्थित उम्मीदवारों के जवाब के साथ उम्मीदवार के जवाब का विश्लेषण करेगा। यदि निर्धारित प्रक्रियाविधि के अनुसार, यह संदेह होता है कि जवाब आपस में बांटे गए हैं तथा प्राप्त स्कोर असली/वैध नही हैं, तो बैंक उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. **महत्वपूर्ण सामान्य अनुदेश :**

a. उम्मीदवारों को केवल आनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत है। किसी अन्य रूप में किए गए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
b. आवेदन करने से पूर्व, उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता तथा अन्य मानदंडों को पूरा करता है। बैंक, भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में किसी आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए मुक्त है यदि वह उम्मीदवार उस पद हेतु अनर्ह पाया जाता है। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में भर्ती से संबंधित किसी मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवार पर बाध्य होगा। बैंक द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार या व्यक्तिगत प्रश्नों पर विचार नही किया जाएगा।
c. भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार अर्हता मानदंडों को पूरा नही करता तथा/या उसने कोई असत्य/ग़लत सूचना/प्रमाण–पत्र/दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है या उसने कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई है, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के उपरांत भी उनमें कोई कमी पाई जाती है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
d. बैंक/आईबीपीएस अनधिकृत व्यक्ति/संस्थान द्वारा जारी किसी विज्ञापन में उपलब्ध कराई गई गलत सूचनाओं के आधार पर किसी आवेदन के निरस्त करने के लिए उत्तरदायी नही होगा।
e. केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें जो भारत में कहीं भी सेवा करना चाहते हैं।
f. एक बार जब किसी विशेष संवर्ग के तहत उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है, इसे तदुपरांत परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
g. उम्मीदवारों का परीक्षा में प्रवेश पूर्णतया अस्थाई है। केवल यह तथ्य कि उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, का यह मतलब नही कि बैंक द्वारा उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से मान लिया गया है।
h. इस विज्ञापन से उठने वाला कोई भी विवाद केवल चेन्नै में स्थित न्यायालय के न्यायक्षेत्र के अद्यधीन होगा।
i. किसी भी रूप में कैनवास करना अनर्हता होगी।
j. सभी आवेदकों को, यदि उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है, तो उनके शैक्षिक तथा अनुभव प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ जाति प्रमाण–पत्र, विकलांगता का प्रमाण–पत्र तथा उनकी अर्हता के समर्थन में किसी अन्य प्रमाण–पत्र के मूल के साथ–साथ एक सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी, इसमें असफ़ल रहने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
k. अ.पि.व. संवर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, अन्य बातों के साथ साथ प्रमाण–पत्र यह निर्दिष्ट करे कि उम्मीदवार भारत सरकार के तहत सिविल पद एवं सेवाओं में अ.पि.व हेतु आरक्षण का लाभ से निकाले गए ''क्रीमी लेयर'' खंड़ से नही है। ''ग़ैर क्रीमीलेयर खंड़'' वाला अ.पि.व. प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आय पर आधारित हो तथा 01.04.2010 को या उसके बाद जारी किया गया हो।
l. सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों/राष्ट्रीकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत करने की ज़रूरत है जिसमें चूकने पर उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
m. उम्मीदवार को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अपने खर्चे एवं जोखिम पर उपस्थित होना होगा तथा बैंक किसी भी क्षति/हानि आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा तथापि अर्ह (सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार) अजा/अजजा/विकलांग बाहरी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए यात्रा के साक्ष्य की प्रस्तुति पर निकटतम रुट द्वारा द्वितीय श्रेणी के साधारण रेल/बस के आने–जाने के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह रियायत उन उम्मीदवारों के लिए लागू नही

होगी जो पहले से ही केन्द्र/राज्य सरकार/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय सरकार, संस्थानों एवं पंयायतों में सेवा में हैं।

n. पते में परिवर्तन हेतु किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

o. लिखित परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को कैल्कुलेटर, किसी प्रकार का टेलीफोन, पेजर या ऐसे किसी उपकरण के उपयोग की अनुमति नही है।

p. किसी उम्मीदवार (रों) हेतु केन्द्र/स्थल/निर्दिष्ट करने के संबंध में जहां भी आवश्यक हो बैंक को पुनः परीक्षा आयोजित करने का अधिकार है।

q. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकतानुसार चिकित्सीय रूप में फिट होने के अध्यधीन है। ऐसी नियुक्ति बैंक के सेवा एवं आचरण नियमों के भी अध्यधीन है।

r. अंग्रेज़ी को छोड़कर किसी अन्य रूपांतरण में व्याख्या के संबंध में विवाद के मामले में अंग्रेज़ी रूनांतरण प्रभावोत्पादक होगा।

10. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि. को प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् है :

(ए) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु

(i). जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलक्टर/ प्रथम श्रेणी स्टीपेंडियरी मजिस्ट्रेट/सब–डिविजन मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(ii). मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii). कम से कम तहसीलदार रैक के राजस्व अधिकारी

(iv). उस क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां आवेदक एवं/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

(बी) विकलांग व्यक्तियों के लिए

विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित मेडिकल बोर्ड होगा। केन्द्र या राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड गठित कर सकते हैं जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे और उनमें से कम से कम एक उस विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जिस अपंगता से वह व्यक्ति ग्रसित है।

11. लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्रः

लिखित परीक्षा की तिथि 22.08.2010 (रविवार) है। परीक्षा केन्द्र/स्थल सहित, लिखित परीक्षा की तारीख, बुलावा–पत्र द्वारा सूचित की जाएगी।

सभी अर्ह उम्मीदवारों को बुलावा–पत्र आनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दिए गए पत्राचार के पते पर जारी किए जाएंगे जोकि डाक द्वारा 30. 07.2010 को या उसके बाद भेजे जाएंगे। 16.08.2010 से बुलावा पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट : बैंक की वेबसाइट में दिया गया विस्तृत विज्ञापन का रूपांतरण अंतिम माना जाएगा तथा सभी प्रयोजनों हेतु किसी अन्य रूपांतरणों का स्थान लेगा। तदनुसार उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in देखें।

इस भर्ती के संबंध में सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी उम्मीदवारों पर बाध्य होगा।

महा प्रबंधक (एच आर एम)